

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी श्री अजीत सिंह राठौड (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 57/2022

उनवान

1. श्रीमती सोहनी देवी पत्नि श्री भूतरमल गाडरी नि० गढिलाखेडा तह० व जिला भीलवाडा(राज.)
2. श्रीमती संतोक पत्नि श्री शकर लाल गाडरी नि. सुवाणा तह० व जिला भीलवाडा(राज.)

—प्रार्थीगण

वनाम

1. श्रीमती अलोल देवी पत्नी श्री नारायण गाडरी पुत्री श्री मोटा गाडरी नि. पीपली हाल रतनपुरा तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
2. श्रीमती देउ देवी पत्नी श्री नानूराम गाडरी पुत्री श्री मोटा गाडरी नि. पीपली हाल रतनपुरा तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
3. श्रीमती रामू श्री मोटा गाडरी नि. पीपली तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
4. भगवान पुत्र श्री मोटा गाडरी नि. पीपली तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
5. मधुरा लाल पुत्र श्री मोटा गाडरी नि. पीपली तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
6. देवी लाल पुत्र श्री मोटा गाडरी नि. पीपली तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
7. किशन तेली पुत्र देवी लाल तेली नि. पीपली तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 12.05.2023

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 27.04.2023 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पीपली प.ह. पीपली भू.अ.नि. मंगरोप तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की कृषि भूमि की खाता संख्या 37 की आ.न. 1115/2 रकवा 0.4426 है०, आ.न. 1116/3 रकवा 0.1012 है०, आ.न. 1117/2 रकवा 0.0885 है०, आ.न. 1389/1117 रकवा 0.1517 है०, कुल कित्ता 04 रकवा 0.7840 है०, खाता संख्या 62 की आ.न. 1116/1 रकवा 0.0253 है०, आ.न. 1316/1117 रकवा 0.0253 है०, कुल कित्ता 02 रकवा 0.0506 है०, भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौंसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 28.04.2022 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 से 07 वावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नहीं है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत वहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—:आदेश:-

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम पीपली प.ह. पीपली भू.अ.नि. मंगरोप तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की कृषि भूमि की खाता संख्या 37 की आ.न. 1115/2 रकवा 0.4426 है०, आ.न. 1116/3 रकवा 0.1012 है०, आ.न. 1117/2 रकवा 0.0885 है०, आ.न. 1389/1117 रकवा 0.1517 है०, कुल कित्ता 04 रकवा 0.7840 है०, खाता संख्या 62 की आ.न. 1116/1 रकवा 0.0253 है०, आ.न. 1316/1117 रकवा 0.0253 है०, कुल कित्ता 02 रकवा 0.0506 है०, भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 400/- पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/- रु० की नियमानुसार अदसयगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 12.05.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फेसल शुमार होकर दाखिल दपतर रहे।

(अजीत सिंह राठौड)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ